Serial No. 426 Deed No. 1

Govt. of Bihar
Sub Registry Office ,Benipatti
Summary of Endorsement

This document was presented for registration on **31/01/2017** by **Vinod Kumar**
A stamp duty of Rs. **5000**/- and other fees of Rs. **1520**/- has been paid in it.
The document was found admissible. The names, photographs and fingerprints and signatures of the executants, and their identifier, who have admitted execution before me, are affixed on the reverse page.
The document has been registered as deed no. **1** in Book No. **4**, Volume No. **1** on pages from **1** to **20** and has been preserved in total **20** pages in C.D. No. **1** / Year **2017**

Signature with Date
(**Shailesh kumar**)
Registering Officer, **Benipatti**

Date: 31/01/2017 Token No: 435 /2017

'महात्मा गाँधी मेमोरियल एजुकेशनल ट्रस्ट'

का

न्यास – पत्र

यह ट्रस्ट न्यास) आज दिनांक 31 माह 01 सन् 2017 को ट्रस्टकर्त्ता श्री विनोद कुमार पुत्र स्व0 वासुदेव सिंह, धर्म–हिन्दू, निवासी ग्राम+पो0– साहरघाट, थाना–साहरघाट, जिला–मधुबनी बिहार भारत) के है, जो ट्रस्ट, न्यास) के संस्थापक/ट्रस्टी सदस्य के रुप में जाने जायेंगे।

सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर की असीम अनुकम्पा एवं आर्शीवाद से प्रेरित होकर मैं श्री विनोद कुमार पुत्र स्व0 वासुदेव सिंह, धर्म–हिन्दू निवासी– 9470229481

Page 1 to 10

Sub District Registry Office,Benipatti

Token Number 435	Reg. Year 2017	Serial Number 426	Deed Number 1

PresType	Name	Photo	Thumb / Index / Middle / Ring / Little
Presented By Sig.	Vinod Kumar Binod kumar 31.01.2017		
Sig.	Vinod Kumar Binod Kumar 31.01.2017		
Trustee Sig.	Ashutosh Kumar Ashudosh Kumar 31.01.2017		
Trustee Sig.	Dilip Kumar Dilip Kumar 31.01.2017		
Trustee Sig.	Kumari Sagyan कुमारी सग्यान 31.1.2017		
Trustee Sig.	Madan Kumar Singh Madan Kumar 31.1.17		
Identified By Sig.	Sajan Kumar Nayak सजन कुमार नायक 31/1/2017		

Binod Kumar 31.1.2017

76998682 1709

S/o सजन कुमार नायक उम्र - 27 वर्ष
पिता - सुबोध नायक ग्राम - साहर घाट
31/1/2017

निवासी–ग्राम+पो0–साहरघाट, थाना–साहरघाट, जिला–मधुबनी बिहार भारत) का हूँ।

इस ट्रस्ट/न्यास 'महात्मा गाँधी मेमोरियल एजुकेशनल ट्रस्ट के निर्माण की घोषणा तथा इसके संचालन हेतु स्थाई कोष में 51,000/– (रुपये इक्यावन हजार मात्र) प्रदान करता हूँ जो ट्रस्ट के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज को सुपुर्द कर दिया हूँ, तथा इस ट्रस्ट के निष्पादन की घोषणा करता हूँ :–

1. **ट्रस्ट न्यास)** का नामः– न्यास 'महात्मा गाँधी मेमोरियल एजुकेशनल ट्रस्ट' के नाम से जानी जाएगी।
2. **ट्रस्ट न्यास)** का पंजीकृत कार्यालयः– ट्रस्ट का निबंधित कार्यालय – निवासी–ग्राम+पो0–साहरघाट, थाना–साहरघाट, जिला–मधुबनी बिहार भारत) में अवस्थित होगी या न्यास के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के सुविधा एवं सहमति अनुसार कार्यालय स्थानान्तरित की जा सकेगी।
3. **ट्रस्ट न्यास)** का परियोजना कार्यालयः– ट्रस्ट का परियोजना कार्यालय–
निवासी–ग्राम+पो0–साहरघाट, थाना–साहरघाट, जिला–मधुबनी पिन कोड–847308, बिहार भारत) में अवसिथत होगी या न्यास के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के सहमति से अन्यत्र जगहो पर स्थापित की जा सकेगी।
4. **ट्रस्ट न्यास का कार्य क्षेत्र :–** ट्रस्ट न्यास) का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण भारतवर्ष होगा।
5. **ट्रस्ट न्यास)** का गठन :– ट्रस्टियों के नाम, पुरा पता, पदनाम निम्न प्रकार है :–

क्र	नाम एवं पिता/पति का नाम	पुरा पता	पदनाम
1	श्री विनोद कुमार पिता–स्व0 वासुदेव सिंह उम्र 47 वर्ष	ग्राम+पो0–साहरघाट, थाना–साहरघाट, जिला–मधुबनी बिहार पिन कोड–847308	न्यास के चेयरपरसन
2	कुमारी सज्ञान पिता–जय नन्दन प्रसाद उम्र 45 वर्ष	ग्राम+पो0–फुलहर, थाना–हरलाखी, जिला–मधुबनी बिहार पिन कोड–847240	न्यासी
3	श्री दिलिप कुमार पिता–राजेन्द्र सिंह उम्र 32 वर्ष	ग्राम–मसहा, पो0–कोईरिया–पिपरा, थाना–परिहार, जिला–सीतामढ़ी बिहार पिन कोड–843324	न्यासी
4	श्री आशुतोष कुमार पिता– धनेश्वर प्रसाद उम्र 29 वर्ष	ग्राम+पो0–सिरौली, थाना–रिगा, जिला–सीतामढ़ी बिहारपिन कोड–843302	न्यासी
5	श्री मदन कुमार सिंह उम्र 41 वर्ष पिता–रामं विलास सिंह	ग्राम–दुर्गापट्टी, पो0–पिपरौन, थाना–हरलाखी, जिला–मधुबनी बिहार पिन कोड–847240	न्यासी

उपरोक्त सभी ट्रस्टियों ने सहर्ष ट्रस्टी बनना स्वीकार किया और ट्रस्ट फण्ड की उपरोक्त राशि प्राप्त की जो कि ट्रस्ट की स्थायी संपत्ति मानी जायेगी।

6. **ट्रस्ट के उथेश्य** :-

यह ट्रस्ट शैक्षणिक, सांस्कृतिक, सामाजिक एवं परमार्थिक कार्यो को क्रियान्वित करने के लिये गठित किया गया है तथा इसके निम्नलिखित उद्देश्य रहेंगे: -

01. सभी प्रकार के शिक्षण संस्थानों की स्थापना, विकास, रख-रखाव एवं संचालन तथा सांस्कृतिक-सामाजिक एकता एवं समरसता के विकास हेतु कार्य करना अथवा कराना ।

02. विज्ञान एवं प्रौघोगिकी, साहित्य, संगीत, नृत्य, नाटक एवं ललित कला की उन्नति के लिए संस्थानों की स्थापना एवं संचालन करना अथवा कराना।

03. मानव संसाधन विकास के उथेश्य हेतु विघालय, चिकित्सालय, सेवा-सदन एवं जाँच केन्द्र, दन्त महाविघालय, चिकित्सा महाविघालय, पशु चिकित्सालय, तथा उससे संबंधित जाँच केन्द्र, अभियंत्रण महाविघालय, परिचारिका प्रशिक्षण महाविघालय, शिक्षण-स्नातक महाविघालय, बहुशिल्प महाविघालय एवं अन्य प्रकार के व्यवसायिक संस्थानों एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना एवं संचालन करना अथवा कराना।

04. एलोपैथिक, होमियोपैथिक, आयुर्वेदिक एवं हर्बल आदि दवाओं के शोध, विकास, निर्माण, वितरण एवं आयात तथा निर्यात करना अथवा कराना।

05. विदेशी शैक्षणिक संगठनों एवं संस्थानों अथवा सरकारों के साथ संबंध कायम रखकर अन्तर्राष्ट्रीय समझदारी को उन्नत करना अथवा कराना।

06. असहाय, निराश्रित, अपंग, बीमार, अनाथ, वृद्ध, विधवा, निर्धन व्यक्तियों के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऋण अथवा आर्थिक सहायता उपलब्ध करना एवं उनके लिये भोजन, कपड़े, अनाज, रहने की व्यवस्था इत्यादि उपलब्ध करना अथवा कराना।

07 मंदिर, अनाथाश्रम, यज्ञशाला, औषधालय, धर्मशाला, गौशाला, वृद्धाश्रम, इत्यादि का निर्माण एवं विकास में आर्थिक या अन्य प्रकार से सहयोग प्रदान करना।

08. विभिन्न संस्थाएं स्थापित कर समाज के लोगों में आध्यात्मिक, धार्मिक, सांस्कृतिक चेतना जागृत करना तथा विकास करना। इसके अतिरिक्त अन्य समान उथेश्य वाली संस्थाओं को यथासंभव आर्थिक या अन्य प्रकार से सहायता, प्रोत्साहन एवं सहयोग के द्वारा कार्य करना ।

09. समाज, राष्ट्र एवं भारतीय संस्कृति के चहुमुखी विकास हेतु नृत्यकला, गायनकला, संगीतकला, साहित्य सृजन एवं अन्य ललित कलाओं के विकास के लिये, विकास में संलग्न संस्थाओं को, किसी भी प्रकार से सहयोग देना, दिलाना अथवा ऐसा कार्य करना ।

10. सभी प्रकार के राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय खेलों को प्रोत्साहित करने के लिये कार्य करना अथवा कराना एवं सामान्य उद्देश्य वाली संस्थाओं को सहयोग करना।

11. प्राकृतिक आपदा जैसे आँधी-तूफान, भूकंप, ज्वालामुखी, प्लेग, महामारी इत्यादि से पीड़ित लोगों को आर्थिक या अन्य प्रकार से सहायता करना। इसी प्रकार मानव निर्मित विपत्तियों जैसे हड़ताल, युद्ध, दंगों से पीड़ित व्यक्तियों को नगद अथवा आवश्यक वस्तुओं का वितरण कार्य कर सहायता प्रदान करना अथवा कराना।

12. निर्धन, गरीब एवं अनाथ विद्यार्थियों को विद्याध्ययन हेतु आर्थिक सहयोग देना तथा मेधावी छात्रों को प्रोत्साहन हेतु छात्रवृत्ति, पुरस्कार, अनुदान पाठ्य सामग्री, पुस्तकों, शुल्क, पठन एवं पाठन व्यय आदि में सहयोग देकर प्रोत्साहित करना तथा ऐसी संस्थाओं को आर्थिक अथवा पाठ्य सामग्री के रूप में सहायता प्रदान करना अथवा कराना।

13. समाज के गरीब, निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों के विवाह में आर्थिक या अन्य प्रकार से सहायता करना अथवा कराना।

14. इस ट्रस्ट के समान उधेश्यों वाले व्यक्तियों, ट्रस्टों, संस्थानों, समितियों, सामुहिक अथवा निजी निकायों आदि को आर्थिक सहायता एवं अन्य प्रकार से सहयोग प्रदान करना अथवा कराना।

15. मूक प्राणियों, पशु-पक्षियों को अभयदान, आहारदान, दया करना तथा अन्य प्रकार से इन प्राणियों की रक्षार्थ कार्य करना ।

16. ग्रामीण विकास कार्यक्रम, शुद्ध पेयजल आपूर्त्ति, ग्रामीण सड़क निर्माण, विद्यालय निर्माण, सिंचाई, कूप निर्माण, आवास निर्माण, सामुदायिक भवन निर्माण, शौचालय निर्माण, सुनिश्चित एवं क्रियान्वित करना तथा सदस्य संस्थाओं को तकनीकी ज्ञान प्रदान करना।

17. भूमि एवं जल संरक्षण कार्यक्रमों को प्राथमिकता के आधार पर क्रियान्वित करना, लाभार्थियों एवं उनकी समस्याओं के आधार पर परियोजना निर्धारित करना, नवीन तकनिकी का ज्ञान, वर्षा जल का सिंचाई हेतु संग्रह एवं अन्य जीवों के लिए सुरक्षित रखना, प्रदुषण नियंत्रण, जल प्रदुषण नियंत्रित करना, आर्थिक विकास से जुड़ें क्रियाकलाप मत्स्य पालन, डेयरी, पौधा रोपण, बागवानी, आदि को बढ़ावा देना उसकी विपणन की व्यवस्था करना, सदस्य या संबद्ध संस्थाओं के परियोजना निर्माण एवं क्रियान्वयन में सहयोग प्रदान करना।

18. ग्रामीण युवाओं/युवतियों को समाज कल्याण एवं ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए परियोजना निर्माण एवं क्रियान्वयन हेतु प्रशिक्षण प्रदान करना तथा मानव समाज को राष्ट्र के विकास की मुख्य धारा से जोड़ना ।

19. महिलाओं/युवतियों के समाजिक, शैक्षणिक व्यवसायिक शिक्षा सहित) आर्थिक, भौतिक, नैतिक विकास हेतु कुटीर उद्योग, कृषि आधारित उद्योग, लघु उद्योग, ग्रामोंद्योग में प्रशिक्षण प्रदान कर कौशल/दक्षता विकास करना तथा

सांस्कृतिक कार्यक्रमों/गतिविधियों के द्वारा चारित्रिक एवं नैतिक विकास करना।

20. शिक्षा को सर्व सुलभ बनाने हेतु आवासीय शिक्षा/ अनावासीय शिक्षा केन्द्र की स्थापना करना/ संचालन करना तथा बच्चों के बौद्धिक, मानसिक एवं शारिरीक विकास हेतु पाठशाला अध्ययन केन्द्र, व्ययामशाला, पार्क, बाग आदि बनाना ।

21. महिलाओं तथा युवतियों को नवीन तकनीकी के क्षेत्र में प्रशिक्षित करना ताकि उनकी भागीदारी आधुनिक उद्योगों की स्थापना के लिए सुनिश्चित किया जा सके।

22. विकलांगों तथा मन्द बुद्धि बच्चों के शैक्षणिक विकास हेतु विशेष आवासीय विद्यालय की स्थापना करना एवं भारत सरकार तथा अन्य राष्ट्रीय संगठनों/ ट्रस्टों/एजेन्सियों/संस्थाओं को सहयोग प्रदान करना एवं प्राप्त करना।

23. समाज कल्याण, ग्रामीण विकास, मानव संसाधन विकास, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विकास, पर्यावरण सुरक्षा, विज्ञान एवं शहरी विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार/ राज्य सरकार, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, स्वैच्छिक संगठनों, संस्थाओं, एजेन्सियों, विश्व बैंक, विश्व स्वास्थ्य संगठन, राष्ट्रीयकृत बैंकों से दान-अनुदान, ऋण एवं तकनिकी सहायता प्राप्त करना।

24. पर्यावरण संरक्षण हेतु सामाजिक वानिकी वृक्षारोपन एवं बागवानी आदि कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करना, संचालित करना, सदस्य संस्थाओं को क्रियान्वय में सहयोग प्रदान करना, पौधा वितरण करना एवं फलदार वृक्षा रोपण के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना, नर्सरी का विकास करना।

25. नशा विमुक्ति एवं मादक द्रव्य व्यसन निरोध के क्षेत्र परामर्श-सह-चिकित्सालय, सह-पुर्नवास केन्द्र की स्थापना करना तथा प्रचार-प्रसार करना।

26. ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में प्रौढ़ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र की स्थापना करना एवं उसका संचालन तथा साक्षरता दर को बढ़ाने में सरकार को सहयोग प्रदान करना।

27. ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाले जनसमुदाय को स्वास्थ्य एवं चिकित्सा केन्द्र-सह-शिशु कल्याण केन्द्र की स्थापना करना ।

28. ग्रामीण एवं शहरी युवाओं को व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना, केन्द्र सरकार, राज्य सरकार के कार्यक्रमों से अवगत कराना, स्व रोजगार हेतु प्रोत्साहित करना तथा सरकारी सुविधा प्राप्त करने में सहायता प्रदान करना।

29. शिक्षित बेरोजगारों को ग्रामीण विकास एवं प्रबंधन, मानव संसाधन विकास एवं प्रबंधन में प्रशिक्षण प्रदान करना तथा उन्हें ग्रामीण विकास हेतु कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु प्रोत्साहित करना।

30. महिलाओं, बच्चों, विकलागों, वृद्धों, युवकों एवं युवतियों के कल्याण हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन करना तथा उनके समाजिक एवं आर्थिक स्थिति को उन्नत एवं सुदृढ़ बनाना।

Binod Kumar 31.1.2017
कुमारी सुमन 31.1.17
Dilip Kumar 31.01.2017
Ashutosh Kumar 31-01-2017
Neelam Kumar 31-01-17

अपर निबंधक

31. संस्थान के कार्यालय भवन का निर्माण करना, राज्य स्तर जिला स्तर, प्रखण्ड, स्तर पर शाखा कार्यालय की स्थापना करना एवं ग्रामीण विकास, सामाजिक कल्याण एवं मानव पुर्नवास कार्यक्रमों का संचालन करना।

32. बाल श्रमिक एवं महिला श्रमिक के सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक विकास तथा पुर्नवास हेतु कार्यक्रमों का संचालन करना।

33. एड्स पर जागरूकता शिविर का आयोजन करना, एवं उसके रोकथाम हेतु प्रचार-प्रसार का कार्य करना।

34. भूमि, जल संरक्षण कार्यक्रम का क्रियान्वयन करना।

35. पशु स्वास्थ्य केन्द्र, परामर्श केन्द्र का संचालन करना एवं रोग मुक्त जीवन हेतु चिकित्सा सुविधा मुहैया करना।

36. पंचायतों के सशक्तिकरण हेतु कार्यक्रम सुनिश्चित करना एवं निर्वाचित जन प्रतिनिधियों को ग्रामीण विकास के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान करना और परियोजना निर्माण में तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना और जन प्रतिनिधियों से ग्रामीण विकास कार्यक्रम संचालित करने हेतु निधि प्राप्त करना।

37. ट्रस्ट हेतु समय-समय पर चल एवं अचल संपत्ति को प्राप्त करना, क्रय करना, निर्माण-पुनर्निर्माण करना, जीर्णोद्वार करना, सुधार करना, विकास करना, किराये पर लेना एवं देना, विक्रय करना, ऐसी कार्यवाही जो ट्रस्ट के हित में हो तथा जिससे ट्रस्ट को आर्थिक आय हो तथा जिससे ट्रस्ट के उक्त उधेश्यों की पूर्ति में सहयोग प्राप्त हो।

<u>बोर्ड ऑफ ट्रस्टी का गठन एवं नियमन</u>: -

01. <u>ट्रस्टियों की अधिकतम संख्या</u> : -

बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के ट्रस्टीयों की संख्या 3 तीन) रहेगी। उक्त तीन ट्रस्टियों में से कुल 1 एक), अध्यक्ष, विशेष ट्रस्टी रहेंगे। उक्त घोषणा पत्र में घोषित 1 एक) ट्रस्टी ट्रस्ट के आजीवन ट्रस्टी होंगे तथा वे जब तक स्वयं लिखित त्यागपत्र न दे देंगे, अथवा शारीरीक, मानसिक रूप से या कानुनी तौर पर अयोग्य घोषित न हो जाये तब तक आजीवन ट्रस्टी बने रहेंगे। शेष 1 एक) विशेष ट्रस्टी का चुनाव समय-समय पर आजीवन ट्रस्टियों के बहुमत के आधार पर किया जाता रहेगा।

02. <u>ट्रस्टी बनने की योग्यता</u> : -

इस ट्रस्ट के उधेश्य के प्रति श्रद्धा तथा विश्वास रखनेवाला समर्पित सेवा मापी व्यक्ति पुरूष हो या महिला हो, ट्रस्ट का ट्रस्टी बनाया जा सकेगा किन्तु उसकी आयु कम से कम 21 वर्ष इक्कीस वर्ष) वयस्क होना आवश्यक है।

03. <u>नामांकन</u> : -

आजीवन ट्रस्टीगण अपने जीवनकाल में ही उत्तराधिकारी नामांकित कर सकेगें। यदि वे ऐसा करने में असमर्थ रहे तो प्रत्येक ट्रस्टी का प्रथम पुत्र इसका उत्तराधिकारी माना जायेगा। यदि यह किन्ही परिस्थितियों में संभव न हो सका तो उक्त पद पर आजीवन ट्रस्टियों सहित विशेष ट्रस्टियों द्वारा सर्वानुमति के निर्णय से रिक्त पद पर ट्रस्टी की नियुक्ति की जायेगी।

04. **<u>ट्रस्टी को पदच्युक्त करने की प्रक्रिया</u>** :-

यदि कोई ट्रस्टी ट्रस्ट के हितों के प्रतिकुल कार्य करता है, या ऐसा कार्य करता हो जिससे ट्रस्ट की संपत्ति या प्रतिष्ठा को किसी प्रकार की हानि हो रही हो अथवा शारीरिक एवं मानसिक रूप से ट्रस्टी के कार्य करने के आयोग्य हो अथवा इंडियन ट्रस्ट एक्ट के अधीन जो व्यक्ति ट्रस्टी बनने योग्य नहीं रह गया हो तो आजीवन ट्रस्टियों के बहुमत से सफाई का मौका देकर ऐसे ट्रस्टी को बोर्ड ऑफ ट्रस्ट से निकाला जा सकेगा।

05. **<u>ट्रस्टियों के अधिकार एवं कर्तव्य</u>** :-

ट्रस्ट की उपार्जित समस्त चल एवं अचल संपतियों ट्रस्ट के नाम से रहेगी, किन्तु उपरोक्त संपतियों को बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज को ट्रस्ट के हित में उपयोग करने, विक्रय करने, खरीदने, हस्तांतरित करने, किराये पर देने अथवा लेने का अधिकार रहेगा।

बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज को अधिकार होगा कि वे ट्रस्ट के हित में विभिन्न व्यक्तियों, सरकारी, अर्द्धसरकारी, निजी संस्थाओं आदि से नगद अथवा वस्तुओं के रूप में अथवा अन्य प्रकार से स्वैच्छिक दान, ग्रान्ट, सहायता, अंशदान आदि प्राप्त कर सकेंगे एवं उपरोक्तानुसार प्राप्त राशि को ट्रस्ट के उधेश्यों की पूर्ति हेतु व्यय या उपयोग कर सकेंगे।

बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज को ऐसे समस्त कार्य करने की स्वतंत्रता रहेगी, जिससे ट्रस्ट के उधेश्यों की पूर्ति संभव हो। इसमें ट्रस्ट की आय को बढ़ाने के लिये समस्त प्रयास जिसमें व्यवसाय आदि भी सम्मिलित है, किन्तु उपरोक्त श्रोतों से अर्जित आय का उपयोग ट्रस्ट केवल अपने उधेश्यों की पूर्ति के लिये ही कर सकेगा।

बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज को ट्रस्ट की विभिन्न पूंजियों चल एवं अचल संपति एवं नगदी का विनियोजन निम्नलिखित संस्थाओं में करने का अधिकार रहेगा :-

क. राष्ट्रीकृत बैंकों

ख. सरकारी प्रतिभूतियों

ग. युनिट ट्रस्ट

घ. सामाजिक संस्था के ऋण पत्र

ड. सार्वजनिक कंपनियों के अंशो में या सावधि जमा के रूप में।

च. म्यूचल फण्डस की योजनाओं में, तथा

छ. ऐसी अन्य प्रतिभूतियों में कर सकेंगे जो कि आयकर अधिनियम के प्रावधानों के तहत अनुमोदित है।

बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के कार्यो के लिये किसी भी व्यक्ति, संस्था, बैंक, सरकारी अथवा अर्द्धसरकारी विभागों/संस्थाओं से ट्रस्ट की ओर से अनुबंध हस्ताक्षर कर निष्पादित करने, प्रलेखों पर हस्ताक्षर करने, आलेख तैयार करने के लिये अधिकृत होंगे, किन्तु ऐसे ट्रस्टियों के नाम ट्रस्ट की बैठक में तय किये जायेंगे कि कौन ट्रस्टी किस कार्य के लिये अधिकृत रहेगा।

बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ट्रस्ट के उधेश्यों की पूर्ति हेतु तथा ट्रस्ट की प्रबंध व्यवस्था सुचारु रूप से चलाने के लिये अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति करने, समिति, उपसमिति का गठन करने एवं ट्रस्ट के घोषणा पत्र के अनुरूप समय-समय पर नियम, विनियम तथा उपनियम बना सकेंगे ताकि इस ट्रस्ट का प्रबंध और प्रशासन सुचारु रूप से संचालित हो सके।

बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज यदि चाहे तो ट्रस्ट के कार्यो के लिये वैतनिक या अवैतनिक विभिन्न कर्मचारियों जैसे प्रभारी, सहायक, टंकक, लिपिक, रोकड़िया, लेखाकार, निरीक्षक, सफाई कर्मचारी, पुजारी, सेवक इत्यादी को नियुक्त करने, उनके वेतन, भत्ते एवं उनके अधिकार, कर्तव्य एवं दायित्व निर्धारित करने तथा उन्हें पदमुक्त करने, निलंबित करने, आदि के लिये अधिकृत होंगे।

बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ट्रस्ट के उधेश्यों की पूर्ति के लिये विभिन्न व्यक्तियों, बैंक, वित्तीय एवं अन्य संस्थाओं, साख समितियों से ब्याज पर अथवा बिना ब्याज पर अथवा बिना व्याज के ऋण ले सकेंगे एवं प्रतिभूति बतौर ट्रस्ट की किसी भी अचल संपति को गिरवी भी रख सकेगें।

भविष्य में ट्रस्ट द्वारा स्थापित संस्थाओं एवं समितियों के संचालन हेतु ट्रस्टीगण समय-समय पर परियोजना समिति का गठन कर सकेंगें तथा इन संस्थाओं एवं समितियों का संचालन ट्रस्ट के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ के निर्देशानुसार होगा एवं परियोजना समिति की कार्यप्रणाली एवं गतिविधियों को समय से पूर्व भंग कर सकेगी। लेकिन ऐसी भंग की गयी परियोजना समितियों का पुर्नगठन अधिकतम 6 माह में करना आवश्यक होगा तथा जब तक परियोजना समिति/समितियों का पुर्नगठन नहीं हो जाता, जब तक उसका संचालन बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ के द्वारा किया जायेगा।

आजीवन ट्रस्टी तथा उनके उत्तराधिकारी ट्रस्ट के लिये किये गये कार्यो हेतु किसी प्रकार का पारिश्रमिक प्राप्त करने के अधिकारी नहीं रहेंगे तथा उन्हे ट्रस्ट के कार्य अवैतनिक की हैसियत से करने होंगे, तथापि ट्रस्ट के उधेश्यों की प्राप्ति हेतु किये जानेवाले विभिन्न कार्यो में कोई व्यय उनके पास से होगा तो वे उसका भुगतान ट्रस्ट से प्राप्त करने के अधिकारी होंगें।

क) <u>अध्यक्ष के अधिकार एवं कर्त्तव्य</u> :-

अध्यक्ष संस्था की एकता का प्रतीक होगा और ट्रस्ट की प्रतिष्ठा, सुरक्षा, पवित्रता और समग्रता का प्रहरी होगा तथा सभी प्रकार की बैठक की अध्यक्षता करेगें और किसी प्रस्ताव पर बराबर मतदान की स्थिति में निर्णायक मत देने के अधिकारी होगें। ट्रस्ट के किसी विषय पर विचार के लिये बैठक बुलाने के लिये निर्देश देने का अधिकार अध्यक्ष को होगा और उसके निर्देशानुसार सचिव को बैठक बुलाना अनिवार्य होगा। असामन्य स्थिति में ट्रस्ट के आवश्यक कार्यो को सम्पन्न करना। ट्रस्ट के नियमों के प्रतिकूल कार्यवाही को रोकना।

ख) <u>सचिव के अधिकार एवं कर्त्तव्य</u> :-

1) सचिव ट्रस्ट के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी होगें तथा ट्रस्ट के दैनिक प्रशासन से सम्बन्धित सभी लेख पत्रों पर हस्ताक्षर करने के लिये सर्वोच्य पदाधिकारी होगे तथा सभी मामलों में एक सर्वत्र अधिकारी के अधीन रहकर ट्रस्ट का प्रतिनिधित्व करेंगे।

2) ट्रस्ट के सभी अभिलेखों को सुरक्षित रखना एवं हस्ताक्षर करना।

3) ट्रस्ट की ओर से पत्राचार करना।

4) ट्रस्ट की सभी बैठकों का आयोजन करना तथा अध्यक्ष के परामर्श से बैठकों के लिये एजेन्डा/ कार्यक्रम बनाना।

5) ट्रस्ट के समस्त आय-व्यय का लेखा तैयार करना तथा उनका अंकेक्षण किसी मान्य सनदी लेखाकार से कराना एवं उसकी सम्पुष्टि ट्रस्ट के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में कराना तथा वार्षिक बजट प्रस्तुत करना।

6) ट्रस्ट की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिये सुझाव देना एवं बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ के समक्ष प्रस्तुत करना तथा ट्रस्ट के विकास हेतु प्रतिनिधित्व करना।

7) बैठक में पारित किये गये प्रस्तावों का सम्पादन/अनुपालन करना।

ग) **<u>कोषाध्यक्ष</u>** :-

ट्रस्ट का आय व्यय, प्राप्ति, भुगतान, संपतियों, निधियों आदि के हिसाब-किताब के लिये विभिन्न लेखा पुस्तके, रसीद, वाउचर्स, रोकड़, खाता बही, नकल, अचल संपति रजिस्टर एवं अन्य रजिस्टर का लेखा जोखा रखना तथा उपरोक्त लेखा पुस्तकों का ट्रस्टियों द्वारा अधिकृत किसी अंकेक्षक से प्रतिवर्ष अंकेक्षण कराना। प्रति वर्ष का लाभ हानि खाता तथा स्थिति विवरण पत्रक ट्रस्टियों के समक्ष प्रस्तुत करना।

7. **ट्रस्ट न्यास) कोष का संचालन**:-

न्यास के नाम प्राप्त राशि किसी राष्ट्रीयकृत/निर्बंधित बैक या डाकघर में रखा जायेगा। न्यास के खाता न्यास के अध्यक्ष एवं सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से खोला जायेगा। खाता का संचालन उपरोक्त में से एक पदधारकों के संयुक्त हस्ताक्षर से होगी साथ हीं साथ भविष्य में खाता संचालन में किये गये परिवर्तन की सूचना न्यास में घोषित आजीवन ट्रस्टियों द्वारा दी जायगी।

8. **ट्रस्ट का वित वर्ष** :

ट्रस्ट का वित्तीय वर्ष प्रति वर्ष 31 मार्च को समाप्त माना जायेगा।

9. **ट्रस्टियों की सभा एवं कोरम** :

ट्रस्ट के विभिन्न पुद्दों पर विचार करने हेतु ट्रस्टीगण समय-समय पर बैठक का आयोजन करेंगे तथा उसमें लिये गये निर्णयों के आधार पर उन्हें क्रियान्वित करेंगे।

उपरोक्त कार्यों को वे विभिन्न ट्रस्टियों को परिपत्रों के रूप में भेजकर भी निष्पादित कर सकेंगे, किन्तु ट्रस्टियों की वर्ष में कम से कम दो 2) या प्रत्येक छः महीने में कम-से-कम एक बार बैठक होना अनिवार्य होगा तथा ट्रस्टियों की बैठक में कम से कम घोषित तीन आजीवन ट्रस्टियों के साथ-साथ घोषित विशेष ट्रस्टियों की संख्या का एक तिहाई के बराबर ट्रस्टी उपस्थित होने पर ही सभा का कोरम पूरा माना जायेगा। अन्यथा स्थगित करना होगा।

<u>सामान्य बातें</u>

01. ट्रस्ट की समस्त गतिविधियों के लिये प्रबंध तथा प्रशासन संबंधी अधिकार बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में निहित होंगे।

02. संदेह दूर करने के लिये यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त ट्रस्ट की स्थापना किसी व्यक्ति समाज, समुदाय विशेष के लिये न होकर सभी जाति, धर्म, संप्रदायों तथा वर्गो के व्यक्तियों के हितो के लिये की गयी हैं।

03. ट्रस्ट की बैठकों की कार्यवाही का एक रजिस्टर रखा जायेगा, जिसमें विभिन्न बैठकों में लिये गये निर्णयों को लिपिबद्ध किया जायगा तथा उस पर अध्यक्ष एवं सचिव के हस्ताक्षर होगें।

04. ट्रस्ट की सभी कार्यवाहियों एवं व्यवहार का संचालन ट्रस्ट के नाम से ही किया जायेगा।

05. इस ट्रस्ट डीड में या ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये बनाये गये विभिन्न नियमों या उपनियमों में परिवर्तन या परिवर्धन आवश्यक हुआ तों ट्रस्टीयों द्वारा 3/4 तीन चौथाई) बहुमत से आवश्यक परिवर्तन, संशोधन, परिवर्तन किया जा सकेगा।

07. ट्रस्ट के इस घोषणा पत्र में यदि काई बात स्पष्ट नहीं है या लिखने में छुट गयी हो तो उसका निर्णय भारतीय ट्रस्ट आधिनियम 1882 अथवा उस समय प्रचलित कानून के अनुसार किया जायेगा।

08. ट्रस्ट की बैठक में सभी निर्णय बहुमत से लिये जायेंगे, किन्तु इस हेतु बैठक में किसी मुद्दे पर समान मत होने पर सभाध्यक्ष को अतिरिक्त मत देने का अधिकार रहेगा।

09. इस ट्रस्ट की चल अथवा अचल संपति का उपयोग कोई भी ट्रस्टी अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिये नहीं कर सकेगा।

10. ट्रस्टीगण इस ट्रस्ट तथा को दान देनेवालों के हितार्थ समय-समय पर ट्रस्ट के लिये आयकर अधिनियम में ऐसी छुट प्राप्त कर सकेगा जो कि उस समय लागू हो।

11. यह ट्रस्ट अखण्डनीय है।

अतः तदानुसार आज ईश्वर के आशीर्वाद से दिनांक ....को इस ट्रस्ट की घोषणा ट्रस्ट के संस्थापक व आजीवन ट्रस्टी ने निम्नलिखित ट्रस्टियों एंव साक्षियों की उपस्थिति में सोच-समझकर अपनी स्वेच्छा एवं परिणामों की जानकारी से इस ट्रस्ट को सर्वोपयोगी एवं उज्जवल भविष्य प्रदान करने के उद्देश्य से हस्ताक्षर कर निष्पादन किया।

लिपिबद्धकर्त्ता -

<u>हस्ताक्षर संस्थापक</u>

<u>गवाह</u>

1. सज्जन कुमार नायक
2. अजय भगत

<u>ट्रस्टीगण के हस्ताक्षर</u>

1. Binod Kumar
2.
3.

Binod Kumar 31.1.2017
कुमारी सुमन 31.1.17
Dilip Kumar 31.01.2017
Ashutosh Kumar 31-01-2017
Madan Kumar (31.1.17)

...स्थापित किया 31/1

39,40/ 31.1.17
6020.00
500.00
6520.00

एस्करौल नo........Rs.
दिनांक..............

Endorsement of Certificate of Admissibility

Admissible under Rule 5 : duly Stamped (or exempted from or does not require stamp duty) under the Indian Stamp Act, 1899, Schedule I or I-A, No. '64'. Also admissible under section 26(a) of the B. T. Act.

Stamp duty paid under Indian Stamp Act	**Rs.**	**5000/-**
Addl.Stamp duty paid under Municipal Act	**Rs.**	**0/-**
Amt.Paid By N.J Stamp Paper	**Rs.**	**0/-**
Amt.paid through Bank Challan	**Rs.**	**6520/-**

Registration Fee

A1	**1020**	C	**0**	H1b	**0**	K1a	**0**	Lii	**0**
A8	**0**	D	**0**	H2	**0**	K1b	**0**	Liii	**0**
A9	**0**	DD	**0**	I	**0**	K1c	**0**	Mb	**0**
A10	**0**	E	**0**	J1	**0**	K2	**0**	Na	**0**
B	**0**	H1a	**0**	J2	**0**	Li	**0**	**TOTAL-**	**1020**

LLR + Proc Fee

LLR	**0**
Proc.Fee	**0**
Total	**0**

Service Charge

500

Total amont paid (Reg. fee+LLR, Proc+Service Charge) in Rs. - 1520

Registering Officer
Benipatti

Date: 31/01/2017

Endorsement under section 52

Presented for registration at Registration Office, Benipatti on Tuesday, 31st January 2017 by Vinod Kumar Basudeo Singh by profession Agriculture. Status -

Binod kumar
31.01.2017

Signature/L.T.I. of Presentant

Date:31/01/2017

Registering Officer
Benipatti

Endorsement under section 58

Execution is admitted by those Executants and Identified by the person (Identified by 'Sajan Kumar Nayak' age '27' Sex 'M', 'Subodh Nayak', resident of 'Saharghat, Thana-Saharghat, Distt-Madhubani'.), whose Names, Photographs, Fingerprints and Signatures are affixed as such on back page / pages of the instrument.

Registering Officer
Benipatti

Date : 31/01/2017

Endorsement of Certificate of Registration under section 60

Registered at Registration Office Benipatti in Book 4 Volume No. 1 on pages on 1 -20, for the year 2017 and stored in CD volume No. CD-1 year 2017 .The document no. is printed on the Front Page of the document.

Registering Officer
Benipatti

Date : 31/01/2017